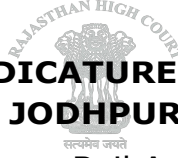




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2833/2026

1. Rajeev S/o Suresh, Aged About 36 Years, Resident Of Gumanpura, Police Station Dhariyavad, District Pratapgarh, Rajasthan.
(Presently Lodged In Pratapgarh Jail)
2. Nandlal S/o Kanhaiya Lal, Aged About 40 Years, Resident Of Gumanpura, Police Station Dhariyavad, District Pratapgarh, Rajasthan.
(Presently Lodged In Pratapgarh Jail)

-----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Ms. Kamakshi Joshi Ms. Urmila Chauhan
For Respondent(s)	:	Mr. Sameer Pareek, PP Mr. Nagesh Meena (Persent in Person)

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

25/03/2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता (483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) पुलिस थाना धरियावाद, जिला प्रतापगढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 242/2022, अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323 व 307 भारतीय दंड संहिता के मामले में प्रस्तुत हुआ है।
2. मैंने बहस जमानत आवेदन पत्र पर सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस मामले में सह-अभियुक्त अरविन्द की जमानत सेशन न्यायालय द्वारा ली जा चुकी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और चोट प्रतिवेदन प्रपत्र में कोई घातक चोट आना नहीं पाया गया है। इस मामले में चालान पेश हो चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः इस आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।



4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।
5. मुस्तगीस/आहत नागेश आज स्वयं न्यायालय में उपस्थित है, जिसने अपनी पहचान बाबत आधार कार्ड की प्रति पेश की, जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाता है। आहत ने स्वयं के साथ मारपीट करना बताते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।
6. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण नामजद नहीं है, परंतु घटना के चश्मदीद साक्षी दिनेश के धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान पत्रावली पर मौजूद है, जिसने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को नामजद किया है और नागेश के साथ प्रार्थीगण व सह-अभियुक्त द्वारा लट्ठो व लातों, मुक्कों से मारपीट करते हुए देखना और स्वयं का डरकर भाग जाना और आहत के भाई को जाकर घटना के बारे में बताना अपने बयान में बताया है।
7. आहत के धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान का अवलोकन किया गया, जिसमें अरविन्द व उसके साथियों ने जानलेवा हमला करते हुए आहत के साथ लात, मुक्कों, लट्ठ व पत्थर से मारपीट करना और आहत को घसीट कर सड़क से साईड में जंगल में ले जाना, वहां ले जाकर आहत के साथ मारपीट करना और आहत के मुंह के अंदर मिट्टी भर देना और सिर व मुंह पर मुक्के मारना बताया है और मारपीट के बाद जलती हुई सिगरेट से शरीर पर दाग कर देना बताया है। इस स्टेज पर जो साक्ष्य चालान पत्रावली में संलग्न है, उसको मददेनजर रखते हुए आहत के न्यायालय बयान से पूर्व प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।
8. अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J